सोमेश थपलियाल और ए. एन. आर. ईटीसी।

वी.

वाइस चांसेलर,

एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं। 3922-3925 2017 का)

सितंबर 03,2021

[उदय उमेश ललित और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

राज्य विश्वविद्यालय का औषधीय विज्ञान विभाग 1973 के अधिनियम द्वारा शासित-उनकी सेवाओं को समय-समय पर बढ़ाया गया-विश्वविद्यालय को 2009 के अधिनियम के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था और बाद में, 2011 में इसके द्वारा एक विज्ञापन अधिसूचित किया गया था जिसमें फार्मास्युटिकल विज्ञान विभाग में शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे-2011 के विज्ञापन के अनुसार चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले शिक्षकों द्वारा दायर रिट याचिका; और उनकी नियुक्ति के पत्र में शामिल शर्तों को भी उच्च न्यायालय द्वारा तीन साल के लिए अनुबंध के आधार पर प्रतिबंधित किया गया था-आयोजितः न्यायोचित नहीं-सार्वजनिक रोजगार में नियुक्त व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से नियम और शर्तों का चयन करना संभव नहीं है।

इस तथ्य की परवाह किए बिना कि पद अस्थायी है या स्थायी प्रकृति का है, कार्य करें, कम से कम उनकी नियुक्ति चरित्र में सारवान है और जब भी पद होगा तब इसे स्थायी बनाया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी रूप से स्वीकृत-अपीलार्थियों को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मूल रूप से नियुक्त शिक्षकों (एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर) और केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेवा सदस्यों के रूप में माना जाएगा, जो एक वेतनमान और नियमित रूप से किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य काल्पनिक परिणामी लाभों के हकदार हैं।

[2021] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2009 अधिनियम-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973-केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय की सेवा में नियुक्त शिक्षक।

शब्द और वाक्यांश-नियुक्ति-महत्वपूर्ण नियुक्ति

सेवा कानून का अर्थ।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1 . अपीलार्थियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के भाग VI के तहत विचार के अनुसार चयन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद की गई थी, जो वास्तव में मूल आधार पर एक नियुक्ति थी और क्योंकि अपीलार्थी समान सौदेबाजी की स्थिति में नहीं थे और उन्हें इसकी आवश्यकता थी

जब नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था, तो नियुक्ति के पत्र में शामिल ऐसी मनमाने शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, जिसे सीमित अवधि के लिए संविदात्मक माना जाता था, फिर भी शामिल होने के दौरान उनका विरोध दर्ज किया गया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया था। जब उन्हें अपनी सेवाओं का विस्तार करके जारी रखने की अनुमति दी गई, तो वे इस विश्वास के साथ बने रहे कि उनकी नियुक्ति चरित्र में ठोस हो रही है, इसलिए दवा विज्ञान विभाग में स्थायी पदों को मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद उन्हें स्थायी/पुष्टि कर दी जाएगी, लेकिन उनकी निराशा के लिए, 29 अगस्त, 2011 को प्रतिवादी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एक विज्ञापन अधिसूचित किए जाने के बाद, उनके पास रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। [पैरा 37] [70-एच; 71-ए-सी]

2.1 . सार्वजनिक रोजगार में नियुक्त व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से नियम और शर्तों का चयन करना खुला नहीं है।

जिसकी उसे सेवा करनी होती है। यह बिना कहे चला जाता है कि नियोक्ता हमेशा एक प्रमुख स्थिति में होता है और यह नियोक्ता के लिए रोजगार की शर्तों को निर्धारित करने के लिए खुला है। जो कर्मचारी प्राप्त करने वाले छोर पर है, वह शायद ही रोजगार के नियमों और शर्तों में मनमानेपन की शिकायत कर सकता है। यह न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि यदि कोई कर्मचारी रोजगार के नियमों और शर्तों पर सवाल उठाने में पहल करता है, तो उसकी नौकरी ही बर्बाद हो जाएगी। [पैरा 42] [74-डी-एफ]

2.2 . सौदेबाजी की शक्ति स्वयं नियोक्ता के पास निहित है और कर्मचारी के पास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यदि यही कारण है, तो यह कुछ आश्चर्यजनक और अनुचित है।

ईटीसी. वी. वाइस चांसलर, एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर.

कर्मचारी शर्तों को चुनौती देने के लिए खुला है यदि यह नहीं है

कानून के तहत वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप होने के कारण और वह उस स्तर पर पूछताछ से वंचित नहीं है जहां वह खुद को व्यथित पाता है। [पैरा 43] [74-एफ-जी]

संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाते समय भर्ती प्राधिकरण द्वारा न्यायशास्त्र और जिसे "मूल नियुक्ति" कहा जा रहा है, उसे यू. पी. बिक्री कर अधिकारी (ग्रेड II) सेवा नियम, 1983 से एकत्र किया जा सकता है। की परिभाषा राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के तहत महत्वपूर्ण नियुक्ति देखी जा सकती है। नियम की लगभग समान प्रकृति उन सेवाओं में उपलब्ध है जहाँ भर्ती प्राधिकरण है।

संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए भर्ती नियमों के तहत "मूल नियुक्ति" को परिभाषित किया गया है और यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि नियमों की योजना के अनुसार की गई नियुक्ति को मूल नियुक्ति माना जाता है।

[पारस 45,46 और 47] [75-ए-बी; 75-सी, ई]

4.1 . एक बार जब अपीलार्थी अधिनियम 1973 की योजना के तहत प्रदान की गई चयन प्रक्रिया से गुजर चुके हों

इस तथ्य की परवाह किए बिना कि पद अस्थायी या स्थायी प्रकृति का है, कम से कम उनकी नियुक्ति मूल रूप से होती है और जब भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पद को स्थायी रूप से स्वीकृत किया जाता है तो इसे स्थायी बनाया जा सकता है। [पैरा 49] [75-जी-एच; 76-ए]

4.2 . तत्काल मामले में, शिक्षण पदों के बाद

औषधि विज्ञान विभाग ने विधिवत रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित और अनुमोदित, जिसका एक विस्तृत संदर्भ दिया गया है,

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिनांक 14 तारीख को भेजा गया पत्र अगस्त, 2020 इस तथ्य का संकेत देता है कि वर्तमान अपीलकर्ता ए. आई. सी. टी. ई./पी. सी. आई. के मानदंडों के अनुपालन में स्वीकृत एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर के शिक्षण पदों के खिलाफ काम कर रहे हैं और अधिनियम 1973 के अनुसार आवश्यकताओं, योग्यताओं और चयन प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं और विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित, ऐसे अधिकारियों को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत पदों के खिलाफ नियुक्त किया जाएगा। [पैरा 50] [76-बी-सी] [2021] 6 एस. सी. आर.

4.3 . अपीलार्थी अपना दावा करने के हकदार हो गए

स्थायी के विरुद्ध मूल क्षमता में नियुक्ति स्वीकृत पद और केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षण संकाय के सदस्य बनें। अपीलार्थियों को मूल रूप से नियुक्त शिक्षक (एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर) और केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेवा सदस्य, अर्थात् एच. एन. बी. माना जाएगा।

नियमित रूप से केंद्रीय सेवा में नियुक्त शिक्षक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत विश्वविद्यालय। [पारस 51,52] [76-डी-ई]

अर्जुन सिंह और अन्य बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य

और अन्य (2015) 15 एस. सी. सी. 713 और अब्दुल हकीम

एम. ए. और अन्य बनाम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और

अन्य, (2019) 16 एससीसी 328: [2019] 3 एससीआर 382 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2015) 15 एस. सी. सी. 713

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2019] 3 एससीआर 382

पै

रा 23

संदर्भित किया गया है

सिविल अपील/अंतर्निहित न्यायनिर्णयः सिविल

अपील सं। 3922-3925 2017 से।

उच्च न्यायालय के 19.08.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नैनीताल में उत्तराखंड का न्यायालय 2011 की रिट याचिका [एस. बी.] Nos.275,276 और 277 और 2012 की रिट याचिका [एस. बी.] No.97 में।

के साथ

अवमानना याचिका (सिविल) सं। 291-294 सिविल अपील में 2021 का

नं. 3922-3925 2017 से।

नीरज किशन कौल, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, अमित कुमार,

श्री एड. , राजेश पाठक, पंकज पुरोहित, सुमित कुमार, सुश्री कुमारी सुप्रिया, तोशिव गोयल, प्रबोधा कुमार अग्रवाल, अनिल भट्ट, प्रवीण गौर, करण ममगैन, कशिश अनेजा, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अश्विनी कुमार दुबे, संजीव कुमार बालियान, रुद्र विक्रम

सिंह, मनीष कुमार, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सोमेश थपलियाल और ए. एन. आर. वी. वाइस चांसेलर,

एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी, जे।

1. अपीलों का वर्तमान समूह शिक्षकों द्वारा दायर किया गया है

(एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर) जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (इसके बाद "अधिनियम 1973" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) के तहत वर्ष 2004-2007 के बीच प्रदान की गई चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद और 15-17 से अधिक वर्षों तक सेवा करने के बाद पर्याप्त रूप से नियुक्त किया गया था, वे इस डर में हैं कि क्या उनके सेवा में बने रहने के अधिकार को अभी भी बनाए रखा जा सकता है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2013 को पारित निर्णय और आदेश जो तत्काल अपीलों में विवादित है।

2. अपीलों के तत्काल समूह में उठाए गए विवाद का फैसला करने के लिए, प्रासंगिक मौलिक तथ्यों पर ध्यान देना उचित हो सकता है।

हमारे विचार के लिए।

3. विवाद औषधीय विज्ञान विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है जो एक घटक था

एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्व-वित्तपोषण योजना के तहत एक स्तर पर शिक्षण विभाग। अपीलार्थियों की नियुक्ति के समय, विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत स्थापित अधिनियम 1973 द्वारा शासित एक राज्य विश्वविद्यालय था। 15 जनवरी, 2009 को विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा शासित है।

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (इसके बाद "अधिनियम 2009" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है)।

4. बी. फार्मेसी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला फार्मेसी पाठ्यक्रम भारतीय फार्मेसी परिषद (पीसीआई) के नियमों के अंतर्गत आता है जो फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसे शुरू में अधिनियम 1973 की धारा 2 (18) के संदर्भ में एक स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। उस समय विश्वविद्यालय अपनी सभी वित्तीय देनदारियों का वहन करता था।

5. जैसा कि अभिलेख से पता चलता है, शिक्षण पदों (व्याख्याता/पाठक) को बाद में एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक के रूप में फिर से नामित किया गया।

प्रोफेसर को कार्यकारी परिषद द्वारा बनाया गया था जो वर्ष 1997 से 2006 तक अधिनियम 1973 की धारा 19 (ए) के अनुसार विश्वविद्यालय का वैधानिक प्राधिकरण है।

6. कि अधिनियम 1973 के तहत, [2021] 6 एस. सी. आर. के तहत निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षकों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं।

अधिनियम 1973 का अध्याय VI। धारा 31 (4) के तहत गठित चयन समिति द्वारा शुरू में की गई सिफारिशों को कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा जाना है जो वैधानिक और प्रमुख में से एक है।

धारा 19 (ए) के तहत निर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कार्यकारी निकाय और धारा 21 (1) (vii) के संदर्भ में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति का प्राधिकरण भी है और कार्यकारी परिषद द्वारा की गई सिफारिशों को कुलपति द्वारा अधिनियम 1973 की धारा 9 (सी) के तहत परिभाषित विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के रूप में लागू किया जाना है। संबंधित प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी। - विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे -

((क) कुलाधिपति;

(ख) संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मामले में

केवल प्रो-चांसलर;

((ग) कुलपति;

13. कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य। - (1) द.

कुलपति विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होंगे और -

.....

(ख) प्राधिकरणों के निर्णयों को प्रभावी बनाना।

विश्वविद्यालय;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, बैठकों की अध्यक्षता करें।

न्यायालय और विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह में;

19. विश्वविद्यालय के अधिकारी। - विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे -

((क) कार्यकारी परिषद;

20. कार्यकारी परिषद का गठन। - (1) कार्यकारी परिषद में शामिल होंगे -

(क) कुलपति, जो इसके अध्यक्ष होंगे; ओमश थपलियाल और ए. एन. आर।

वी. वाइस चांसलर, आई. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. [आरएएसटीओजी, जे।]

(ख) उपकुलपति, यदि कोई हो;

(ग) दो संकायों के डीन, बारी-बारी से

निर्धारित;

[((ग) प्रोफेसर में से दो सदस्य या

अन्य से संबंधित प्रोफेसर या पाठक नागरिकों के पिछड़े वर्ग;]

(घ) बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और डॉक्टर के मामले में

शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, चौधरी

चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, डॉक्टर राम

मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद और महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिखंड विश्वविद्यालय,

बरेली, -

(i) उपकुलपति के अलावा एक अन्य प्रोफेसर।

या ऊपर खंड (ग) में निर्दिष्ट एक डीन, एक

विश्वविद्यालय के पाठक और एक व्याख्याता होंगे

निर्धारित तरीके से चुना गया;

((ii) तीन प्रधानाचार्य और दो अन्य शिक्षक

महाविद्यालयों का चयन निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

और इसके तहत अधिसूचित किसी अन्य विश्वविद्यालय के मामले में धारा 37 की उप-धारा (1), चार प्रधान और

संबद्ध महाविद्यालयों के चार अन्य शिक्षक होंगे

निर्धारित तरीके से चुना गया;

(1

) द.

निम्नलिखित शक्तियाँ, अर्थात् - (vii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने का प्रावधान करना; [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. शिक्षकों की नियुक्ति। - (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय के शिक्षकों और किसी संबद्ध या संबद्ध कॉलेज (राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से बनाए गए कॉलेज के अलावा) के शिक्षकों की नियुक्ति कार्यकारी परिषद या संबद्ध या संबद्ध कॉलेज के प्रबंधन द्वारा की जाएगी। संबद्ध महाविद्यालय, जैसा भी मामला हो, चयन समिति की सिफारिश पर इसके बाद के तरीके से

प्रदान किया गया। [चयन समिति की बैठक जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार होगी।]

(2) ऐसे प्रत्येक शिक्षक, निदेशक और प्राचार्य की नियुक्ति, जो उप-धारा (3) के तहत नियुक्ति नहीं है, पहली बार में एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है।

एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए:

बशर्ते कि परिवीक्षा अवधि के दौरान या समाप्त होने पर सेवा की समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा -

(क) विश्वविद्यालय के शिक्षक के मामले में, कुलपति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किए गए कार्यकारी परिषद के आदेश को छोड़कर और (जब तक कि शिक्षक स्वयं विभाग का प्रमुख न हो),

संबंधित विभाग;

((ख) किसी संबद्ध या संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य के मामले में, प्रबंधन के आदेश को छोड़कर; और (ग) किसी संबद्ध या संबद्ध महाविद्यालय के किसी अन्य शिक्षक के मामले में, प्राचार्य की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किए गए प्रबंधन के आदेश को छोड़कर और (जब तक कि ऐसा शिक्षक विषय का सबसे वरिष्ठ शिक्षक न हो), विषय के सबसे वरिष्ठ शिक्षक का भी:

बशर्ते कि बर्खास्तगी का ऐसा कोई आदेश संबंधित शिक्षक को नोटिस दिए जाने के अलावा पारित नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि कोई सूचना परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति या परिवीक्षा की विस्तारित अवधि से पहले दी जाती है, तो परिवीक्षा की अवधि तब तक बढ़ाई जाएगी जब तक कि पहले परंतुक के खंड (क) के तहत या, जैसा भी मामला हो, कार्यकारी परिषद का अंतिम आदेश, जब तक कि धारा 35 के तहत कुलपति का अनुमोदन संबंधित शिक्षक को सूचित नहीं किया जाता है।

ओमश थपलियाल और ए. एन. आर. वी. वाइस चांसलर, आई. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. [आरएएसटीओजी, जे।]

(4) (क) विश्वविद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति के लिए चयन समिति (किसी संस्थान के निदेशक के अलावा और

एक घटक महाविद्यालय के प्राचार्य), में शामिल होंगे -

((i) कुलपति जो इसके अध्यक्ष होंगे,

(i-a) संकाय का डीन, जहां भी लागू हो;

((ii) संबंधित विभाग का प्रमुखः

बशर्ते कि विभाग का प्रमुख चयन समिति में तब नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति का उम्मीदवार हो या जब संबंधित पद उसके मूल पद से उच्च पद का हो और उस स्थिति में उसका पद विभाग में प्रोफेसर द्वारा भरा जाएगा और यदि संकाय के डीन द्वारा कोई प्रोफेसर नहीं हैः

बशर्ते कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परंतुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है,

वह चयन समिति के गठन का निर्देश उस तरीके से दे सकता है जो वह उचित समझे।

((ग) प्रोफेसर या पाठक के मामले में, तीन

विशेषज्ञ, और किसी भी अन्य मामले में, कुलाधिपति द्वारा दो विशेषज्ञों को नामित किया जाता है;

(iii-a) प्रत्येक से संबंधित शिक्षाविद

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी हो।

संबंधित श्रेणी से संबंधित नहीं है।

((iv) केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किसी भी योजना के तहत उन्नत किए गए घटक मेडिकल कॉलेज के विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में से प्रत्येक से एक-एक व्यक्ति को नामित किया जाता है।

सरकार;

(v) किसी संस्थान या घटक महाविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में, संस्थान के निदेशक या घटक महाविद्यालय के प्राचार्य, जैसा भी मामला हो,

".

7. 2004 से पहले, फार्मास्युटिकल विज्ञान संकाय में वॉक-इन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के बाद नियुक्तियां की जाती थीं। विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर साक्षात्कार। वर्ष 2004 में बाद के चरण में, एक विज्ञापन सं। 34 दिनांक 4 फरवरी, 2004 की प्रक्रिया थी

विभिन्न शिक्षण पदों का नियमित चयन शुरू किया गया औषधीय विज्ञान विभाग सहित विभाग

एक शर्त कि व्याख्याताओं के लिए नियमित वेतनमान राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन है और पदों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

8. अपीलार्थियों के वर्तमान समूह ने वर्ष 2004 के पूर्व-वर्णित विज्ञापन के अनुसार अपने आवेदन प्रस्तुत किए और उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता/प्रदर्शन की जांच के बाद, उन्हें 30 सितंबर 2004 के एक पत्र द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।

9. सहायक प्रोफेसर के पद के लिए कुल 76 उम्मीदवारों ने आवेदन किया और अभिलेखों की जांच के बाद 29 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।

हालांकि, 14 उम्मीदवार चयन समिति के समक्ष एक साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए, जिसका गठन अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) के संदर्भ में किया गया था। जिन लोगों को उपयुक्त पाया गया था, उनकी नियुक्ति के लिए चयन समिति ने 17 अक्टूबर 2004 की अपनी बैठक में उनके योग्यता क्रम के अनुसार सिफारिश की थी। चयन समिति द्वारा की गई ऐसी सिफारिशों को 30 दिसंबर, 2004 को आयोजित अपनी 69 वीं बैठक में कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा गया था और अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) के साथ पठित धारा 31 (1) के तहत गठित चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुमोदन के बाद, अपीलार्थियों के समूह को वर्ष 2004 में अलग-अलग आदेशों द्वारा नियुक्त किया गया था।

10. विज्ञापन संख्या द्वारा शुरू की गई चयन की नई प्रक्रिया के साथ उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया भी यही थी। 39 दिनांक 19 मई 2006 ने नियमित चयन के लिए आवेदन आमंत्रित किए विभिन्न संकायों के लिए प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण पद

जिसमें औषधीय विज्ञान के संकाय शामिल हैं जिनसे हम वर्तमान में अपीलों के वर्तमान समूह में संबंधित हैं। इसके अनुसार, इच्छुक आवेदकों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदनों की जांच के बाद, उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अधिनियम 1973 की धारा 31 (4) के साथ पठित धारा 31 (1) के तहत गठित चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और व्याख्याता/पाठक के पद के लिए चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को 19 मई 2007 को आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक के समक्ष और ओ. एम. ई. एस. एच. थपलियाल और ए. एन. आर. की मंजूरी के बाद रखा गया।

वी. वाइस चांसलर, आई. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. [आरएएसटीओजी, जे।]

चयन समिति द्वारा किए गए संशोधन, नियुक्तियाँ थीं

6 जुलाई, 2007 के एक आदेश द्वारा।

11. 19 मई, 2006 के विज्ञापन के बाद

अपीलार्थी में से एक की नियुक्ति, अर्थात् सोमेश थपलियाल

यहाँ नीचे प्रस्तुत किया गया है:

" हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर

246174

(गढ़वाल) उत्तरांचल

नियुक्ति अधिसूचना

विज्ञापन No.39

(टाइम्स ऑफ इंडिया)

19.5

.2006

निर्धारित प्रपत्र पर विभिन्न के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार शिक्षण पद। आवेदन

फॉर्म विश्वविद्यालय के कैश काउंटर से खरीदा जा सकता है।

रुपये के भुगतान पर मुख्य अधिकारी। 200 / - (Rs.100/- केवल इसके लिए

अगर मांग मसौदे के साथ है तो मनोरंजन किया जाए Rs.200/- (Rs.100/- केवल उत्तरांचल अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए) पक्ष में

वित्त अधिकारी एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय। आवेदन

सभी मामलों में सत्यापित प्रशंसापत्रों के साथ पूरा किया गया

योग्यता, अनुभव आदि का समर्थन पंजीयक तक पहुंचना चाहिए।

एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल, पंजीकृत डाक द्वारा

(पी-प्रोफेसर, आर-रीडर, एल-लेक्चरर, एल वी-लीव वैकेंसी, ई. आर.-अनारक्षित, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जाति, ओ. बी. सी.-अन्य पिछड़े

कक्षाएं)।

नृविज्ञानः पी-ओ 1 (यूआर), आर-01 (यूआर); वनस्पति विज्ञानः पी-02 (1 एससी; यूआर),

एल-04 (1-एससी; 2 यूआर-एलवी; 1 यूआर *); रसायन विज्ञानः एल * * 03 (1 एससी; आईयूआर; 1 यू. आर. *); वाणिज्यः आर-ओएल (एससी), एल-02 (1 एससी; 1 यूआर-एलवी); कंप्यूटर

विज्ञानः एल-01 (एससी); रक्षा अध्ययनः आर-02 (1 एससी; आईयूआर), 1-02

{ 1 एससी; आईयूआर); अर्थशास्त्रः पी-1 (यूआर-एलवी), एल-0 1 (एससी); शिक्षाः

पी-01 (यूआर), आर-0 1 (एससी), एल-04 (आईएससी; 3 यूआर); अंग्रेजीः आर-02 (आईएससी; आई. यू. आर.); एल-1 (एससी); पर्यावरण विज्ञानः एल-02 (1 एससी; 1 यूआर); [2021] 6 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी-01 (यू. आर.); हिन्दीः आर-1 (एससी), एल-2 (1 एससी; 1 यूआर-एलवी); इतिहास और पुरातत्वः पी-ओल (मध्यकालीन भारत का अनुसूचित जाति इतिहास), आर-02 (1 यूआर *); गणितः पी-ओएल (यूआर) एल-(आईएससी; आईयूआर); फार्म, विज्ञान; पी-01 (एससी), आर-04 (1 एससी, 3 यूआर), एल-05 (3 02 एससी, 1 ओबीसी, 1 यूआर); दर्शनः एल-01 (एससी); भौतिकशास्त्रः पी-1 (यूआर), आर-1 (एससी); राजनीति विज्ञानः आर-1 (एससी), संस्कृतः एल-02 (1 एससी; आईयूआर); समाजशास्त्रः आर-1 (यूआर), एल-3 (1 एससी; 2 यूआर); पर्यटनः एल-ओल (यू. आर.); प्राणीशास्त्रः आर-02 (1 एससी; आईयूआर-एलवी), 1-04 (आईएससी; 1 यूआर; 2 यूआर-एलवी) योग्यताएँः यूजी, सी. एस. आई. आर., आई. सी. ए. आर., ए. आई. सी. टी. ई./पी. सी. आई. मानदंडों और विश्वविद्यालय के कानूनों के अनुसार। विस्तृत जानकारी के लिए

पात्रता और अन्य शर्तों के संबंध में विश विश्वविद्यालय की वेबसाइट। उत्तरा। में। वही आवेदन पत्रों के साथ भी उपलब्ध हैं। नोटः -

1. भरे जाने वाले अधिकांश रिक्त पद टिहरी और

   विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर।

2. विश्वविद्यालय को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित है

   या घटाया गया और आरक्षण की स्थिति भिन्न हो सकती है। तदनुसार।

3. जो पहले ही हमारे पास आवेदन कर चुके हैं

   विज्ञापन (जनफेब-2004) को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

   लेकिन वे अपने बायो-डेटा को अपडेट कर सकते हैं।

4. (क) (*) के साथ चिह्नित पदों को यूजी के तहत स्वीकृत किया जाता है।

   10 योजना कार्यक्रम, और अनुमोदन के अधीन हैं

   (ख) चिह्नित पद के लिए रसायन विज्ञान के मामले में (* *) डिवीजन अकार्बनिक और शारीरिक के उम्मीदवार

   वरीयता दी जाए।

5. आरक्षण केवल उत्तरांचल के उम्मीदवारों पर लागू होगा।

   उत्तरांचल के बाहर के अन्य सभी उम्मीदवार होंगे

   सामान्य श्रेणी में इलाज किया जाता है।

पंजीयक "ओमश थपलियाल और ए. एन. आर.। वी. वाइस चांसलर, आई. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. [आरएएसटीओजी, जे।]

" कार्यालय आदेश

(आवेदन पत्र)

औषधीय विज्ञान विभाग। इस पद को मद संख्या के माध्यम से मंजूरी दी गई थी। 4 वित्त समिति की दिनांकित बैठक 25.2.2006। इसके अलावा, सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य भत्ते देय होंगे जो बी. फार्मा की आय द्वारा वहन किए जाएंगे। बेशक। उपरोक्त नियुक्ति निम्नलिखित के साथ दी जा रही हैः शर्तें

1. श्री. सोमेश थपलियाल को बी. फार्मा में नियुक्त किया गया है।

विभाग श्रीनगर परिसर और के अनुसार

भविष्य में आवश्यकता को किसी भी परिसर में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरण।

2. श्री सोमेश थपलियाल को अनुबंध पर नियुक्त किया गया है।

जिसे एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा। यदि सोमेश थपलियाल सेवा से इस्तीफा देना चाहते हैं तो उन्हें एक महीने पहले नोटिस देना होगा।

3. संबंधित शिक्षक को सरकारी वेतन दिया जाएगा।

स्वीकृत वेतन और भत्ते, कोई अन्य वित्तीय नहीं

पेंशन, पारिवारिक पेंशन, उपदान जैसे लाभों का भुगतान किया जाएगा।

4. उपरोक्त नियुक्ति शुरू में तीन साल के लिए होती है और

जिनका समय-समय पर नवीनीकरण/विस्तार किया जा सकता है।

विभागीय आवश्यकता के अनुसार।

5. यह पद उनके द्वारा बनाए गए पद के बराबर नहीं है।

सरकार और विश्वविद्यालय के तहत भरे गए पद के लिए

क़ानून।

6. संबंधित उम्मीदवार चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

ग्रहण के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया

प्रभारित।

21] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह नियुक्ति स्वतः ही रद्द मानी जाएगी।

उपर्युक्त परिसर में कार्यभार नहीं संभालने की घटना

समय बढ़ाने के लिए आवेदन प्राप्त होंगे। के लिए प्रभार ग्रहण करने पर कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

एस. डी./- अयोग्य

प्रो.

एस. पी सिंह

कुलपति

"

12. यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि शुरुआत से ही

विज्ञापन, जब तक कि कार्यकारी परिषद द्वारा की गई अंतिम सिफारिशें, निर्विवाद रूप से, भर्ती के एक नियमित तरीके का पालन प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण नियुक्ति करने के लिए किया गया था, लेकिन अपीलार्थियों को निराशा हुई, क्योंकि वे समान सौदेबाजी की स्थिति में नहीं हैं।

नियुक्ति इसे अनुबंध के आधार पर सीमित करने के लिए एक अवधि के लिए सीमित है

तीन वर्ष जिसके बारे में अपीलार्थी में से किसी को भी किसी भी स्तर पर कभी अवगत नहीं कराया गया था और पहली बार ऐसी शर्तों को अधिनियम 1973 की वैधानिक योजना के उल्लंघन में नियुक्ति के प्रस्ताव में शामिल किया गया था।

13. अपीलार्थियों ने विरोध याचिका दायर करके विवाद उठाया लेकिन

जैसा कि पहले से ही देखा गया है कि समान सौदेबाजी की स्थिति में नहीं होने के कारण उन्हें रोजगार की आवश्यकता थी, उनके पास रोजगार के समय विश्वविद्यालय द्वारा दी गई बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

14. निर्विवाद रूप से अपीलार्थियों को जाने के बाद नियुक्त किया गया था

अधिनियम 1973 के तहत निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से और

उनकी सेवाओं को क्रमशः वर्ष 2004-2007 से उनकी प्रारंभिक नियुक्ति से समय-समय पर बढ़ाया गया था और विश्वविद्यालय को अधिनियम 2009 द्वारा शासित केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के बाद, औषधि विज्ञान विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण विभागों में से एक बन गया।

15. वह 58 शिक्षण पद कार्यकारी परिषद द्वारा बनाए गए थे

केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तन से पहले। 58 पदों के अलावा, यू. जी. सी. ने 27 अप्रैल, 2011 के अपने पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 110 नए पदों को भी मंजूरी दी, जिसमें औषधि विज्ञान विभाग के शिक्षण पद भी शामिल हैं।

16. यह ध्यान देने योग्य होगा कि 58 शिक्षण पदों में से 22 पद

शिक्षण पद (सहायक प्रोफेसर 13, एसोसिएट प्रोफेसर 06, प्रोफेसर सोमेश थपलियाल और ए. एन. आर.)

वी. वाइस चांसेलर,

एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. [आरएएसटीओजी, जे।]

03) यह फार्मेसी विभाग से संबंधित है। का नामकरण

छठे वेतन के लागू होने के बाद शिक्षण पद को नया रूप दिया गया था आयोग जिसके द्वारा व्याख्याता को सहायक प्रोफेसर और रीडर को एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में फिर से नामित किया गया था।

17. अधिनियम 2009 के तहत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के बाद, यह 29 तारीख को एक विज्ञापन के साथ सामने आया

अगस्त, 2011 में औषधि विज्ञान विभाग सहित विभिन्न विभागों के शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। यह अपीलार्थियों की शिकायत का चरण था जो यह जानकर हैरान थे कि क्या ऐसी नियुक्तियां अब अनुसरण में की जा रही हैं।

29 अगस्त, 2011 के एक विज्ञापन के लिए, निर्विवाद रूप से, यह वर्तमान अपीलार्थियों के जोखिम पर होगा और उन्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा, बिना किसी विकल्प के, औषधि विज्ञान विभाग के शिक्षकों ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें खुले चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया था।

29 अगस्त 2011 के एक विज्ञापन के अनुसार। साथ ही, उनकी नियुक्ति के क्रम में शामिल मनमाने शर्तों पर भी सवाल उठाया और प्रार्थना की कि उन्हें विभाग में एक शिक्षक के रूप में पर्याप्त रूप से नियुक्त किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय में औषधीय विज्ञान। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रस्तुत की गई दलीलों पर ध्यान देने के बाद 19 अगस्त 2013 के निर्णय और आदेश के तहत रिट याचिका को खारिज कर दिया, जो अपीलकर्ताओं के आग्रह पर सामूहिक रूप से अपीलों के वर्तमान समूह में चुनौती का विषय है।

18. नोटिस जारी करते समय, 5 सितंबर, 2013 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थियों को कोई भी प्रतिकूल निर्णय लेने से रोक दिया।

कार्रवाई। इस क्रम को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" बोर्ड पर लिया गया।

श्री टी. आर. अंधारुजिना को सुना, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए

उत्तरदाताओं को चार सप्ताह के भीतर वापस करने योग्य नोटिस जारी करें। इस बीच, के संदर्भ में अंतरिम आदेश होगा

विशेष अनुमति याचिकाओं की प्रार्थना 8 (ए)।

19. उत्तरदाता के बीच बाद में पत्राचार

विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पता चलता है कि अपीलार्थियों द्वारा आयोजित शिक्षण पदों को विधिवत [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित और वर्तमान अपीलार्थियों की स्थिति जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा यू. जी. सी. को इस स्पष्टीकरण के साथ सूचित किया गया है कि पदों को विश्वविद्यालय की वित्त समिति/कार्यकारी परिषद द्वारा कुल 22 शिक्षण पदों (03 प्रोफेसर, 08 एसोसिएट प्रोफेसर और 13 सहायक प्रोफेसर) द्वारा स्वीकृत किया गया था ताकि ए. आई. सी. टी. ई./पी. सी. आई. के मानदंडों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान अपीलार्थियों के नाम जो आवश्यक योग्यता के अनुसार नियुक्त किए गए थे और अधिनियम 1973 के तहत निर्धारित चयन प्रक्रिया की कठोरता से गुजरे हैं और ऐसे शिक्षक जो

एच. एन. बी. गढ़वाल के धर्मांतरण के बाद वर्तमान अपीलार्थियों को शामिल करें

विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में 15 जनवरी, 2009 को अपने 14 अगस्त, 2020 के पत्र द्वारा शामिल किया गया।

20. विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव दिया है कि ये सभी शिक्षण पद

(अपीलार्थियों द्वारा धारण किए गए पद सहित) को उपरोक्त पदधारियों के साथ भरे हुए पद के रूप में माना जा सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा यू. जी. सी. को किए गए संचार को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

" हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर

गढ़वाल उत्तराखंड)-246174

(एक केंद्रीय विश्वविद्यालय)

टेलीफोनः (01346) - 252143 , 252167 , 252170

फैक्सः (01346) -252247

वेबसाइटः डब्ल्यू. डब्ल्यू. हन्बगु। एसी। में

संदर्भ No.HNBGU/ADMIN (T)/2020/732 दिनांकः 14-08-2020

को,

उप सचिव (सी. यू.) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

संदर्भः F.No.52-9/2018 (CU), दिनांक 09 मार्च 2020 रेग। महोदया/महोदय,

यू. जी. सी. के उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में, वांछित जानकारी नीचे दी गई है।

वी. वाइस चांसलर, एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. [आरएएसटीओजी, जे।]

1. हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में वर्ष 1996 में औषधि विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी।

2. राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की वित्त समिति/कार्यकारी परिषद ने कुल 22 शिक्षण पदों (03 प्रोफेसर, 06 एसोसिएट प्रोफेसर और 13) को मंजूरी दी।

सहायक प्रोफेसर) समय-समय पर ए. आई. सी. टी. ई./पी. सी. आई. के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए।

3. निम्नलिखित शिक्षकों को नियुक्त किया गया था

तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार निम्नलिखित तरीके से आवश्यक योग्यता और चयन प्रक्रिया-(अनुलग्नक-1)

$ 1 . का नाम

विज्ञापन

चयन

विवरण

ता

रीख की

पोजीशन

में से

शामिल होने की

मंजूरी

समिति

नं. शिक्षक

नियुक्त करने वाले

तिथि/चयन

सिफारिशें

टी

चयन का एनएस

एन प्रक्रिया

समिति

17.10.2004 / 69 वें सामान्य

31-12-2004 के रूप में

1 . डॉ. विजय व्याख्याता

विज्ञापन

प्रति खंड बैठक

ज्योति

नहीं। 34 / 2004

31 (1) & (4) कार्यपालक

कुमार

यूपी राज्य परिषद

विश्वविद्यालय

Dt.30.12.200

4

अधिनियम, 1973

80th सामान्य

19.05.2007

20.042007 / के रूप में

विज्ञापन

पाठक

खंड की बैठक

नहीं। 39 / 2006

प्रति

31 (1) & (4) कार्यपालक

यूपी राज्य परिषद डी.

विश्वविद्यालय

19.05.2007

अधिनियम, 1973

17.10.2004 / 69 वें सामान्य

31-12-2004 के रूप में

विज्ञापन

2 . श्री पुनीत व्याख्याता

अनुभाग बैठक के अनुसार

बारमोला

नहीं। 34 / 2004

यूपी राज्य परिषद

विश्वविद्यालय

Dt.30.12.200

4

अधिनियम, 1973

69 थ.

सामान्य

31-12-2004

17.10.2004 /

व्याख्याता

विज्ञापन

3 . श्री.

ललाटेंदु

नहीं। 34 / 2004

अनुभाग के अनुसार

बैठक

में

से

31 (1) & (4) कार्यपालक

मोहंती

यूपी राज्य परिषद

विश्वविद्यालय

Dt.30.12.200

4

अधिनियम, 1973

69th सामान्य

31-12-2004

17.10.2004 /

विज्ञापन

4 . श्री अरुण व्याख्याता

नहीं। 34 / 2004

अनुभाग के अनुसार

की बैठक

कुमार

31 (1) & (4) कार्यपालक

बिशोयल

यूपी राज्य परिषद

विश्वविद्यालय

Dt.30.12.200

4

अधिनियम, 1973

69th सामान्य

01-01-2005

5 . डॉ. अजय व्याख्याता

17.10.2004 /

विज्ञापन

सेमल्टी

नहीं। 34 / 2004 डब्ल्यू.

अनुभाग के अनुसार

बैठक

में

से

31 (1) & (4) कार्यपालक

यूपी राज्य परिषद

Dt.30.12.200

4

विश्वविद्यालय

अधि

नियम, 1973 [2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

69 थ.

विज्ञापन

17.10.2004 /

सामान्

य 31-12-2004

6 . डॉ. नितिन व्याख्याता

अनुभाग के अनुसार

बैठक

में से

सती।

नहीं। 34 / 2004

यूपी राज्य परिषद

विश्वविद्यालय

Dt.30.12.20

04

अधिनियम, 1973

69th सामान्य

22-01-2005

विज्ञापन

17.10.2004 /

7 . डॉ. मोना व्याख्याता

भोजवानी

अनुभाग के अनुसार

बैठक

में से

नहीं। 34 / 2004

31 (1) & (4) कार्यपालक

सेमल्टी

यूपी राज्य परिषद

विश्वविद्यालय

Dt.30.12.20

04

अधिनियम, 1973

80th सामान्य

31.07.2007

विज्ञापन

20.04.2007 /

व्याख्याता

8 . डॉ.

हेमलता

नहीं। 39 / 2006

अनुभाग के अनुसार

बैठक

में से

31 (1) और (4) कार्यकारी

भट्ट सती

यू. पी. राज्य परिषद डी.

19.05.2007

विश्वविद्यालय

अधिनियम, 1973

80th सामान्य

04.08.2007

20.04.2007 /

9 . डॉ. सोमेश व्याख्याता

विज्ञापन

थपलियाल

नहीं। 39 / 2006

अनुभाग के अनुसार

बैठक

में से

31 (1) & (4) कार्यपालक

यूपी राज्य परिषद डी.

विश्वविद्यालय

19.05.2007

अधिनियम, 1973

4. एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय के एक विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के बाद

केंद्रीय विश्वविद्यालय डब्ल्यू. ई. एफ. 15-01-2009, यू. जी. सी. ने अपने पत्र सं.

डी. ओ. नं. एफ. 39-1/2009, दिनांक 25/27 अप्रैल, 2011,22 का अधिग्रहण किया गया

एस. एन. में उल्लिखित शिक्षण पद 02. (संलग्नक-02) इसलिए, विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है कि ये 09 शिक्षण पद

उपरोक्त के साथ भरे हुए पदों के रूप में माना जा सकता है

उपरोक्त वांछित जानकारी को अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और विचार करें।

एन. सी. : जैसा कि ऊपर बताया गया है।

प्रो. (एन.

एस. पंवार)

पंजीयक "

21. के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने का मुख्य जोर

अपीलकर्ताओं का कहना है कि वर्ष 2004 और 2006 में उत्तरदाताओं द्वारा अधिसूचित एक विज्ञापन के अनुसार नियमित चयन करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और नियमित चयन की कठोरताओं से गुजरने के बाद, उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव में मनमाने शर्तों को शामिल किया गया था, जिनके पास रोजगार की आवश्यकता होने के कारण बिंदीदार रेखाओं पर स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और आगे प्रस्तुत करता है कि अधिनियम, 1973 की योजना, की गई सिफारिशों पर नियमित चयन करने की अभिधारणा करती है।

सेक के संदर्भ में गठित चयन समिति द्वारा। 31 (1) सेक के साथ पढ़ें। 31 (4) अधिनियम, 1973 और यह कि सोमेश थपलियल और ए. एन. आर. निर्धारित प्रक्रिया है।

वी. वाइस चांसलर, एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. [आरएएसटीओजी, जे।]

अधिनियम, 1973 के अध्याय VI के तहत, उनके नियुक्ति पत्र में इस स्तर पर मनमाने शर्तों को शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 14 और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 और अधिनियम 1973 की योजना का उल्लंघन था।

22. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी नहीं थे

समान सौदेबाजी की स्थिति में, नियुक्ति पत्र में उन्हें दिए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, फिर भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें समय-समय पर उत्तरदाताओं द्वारा विस्तार दिया गया और अपीलकर्ता इस विश्वास के साथ बने रहे कि एक बार जब उन्हें कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार पर्याप्त रूप से नियुक्त किया जाता है, तो जब भी दवा विज्ञान विभाग में स्थायी पद उपलब्ध होंगे, तो उनके खिलाफ उन्हें स्थायी बना दिया जाएगा।

जब उनकी सेवा की शर्तें अधिनियम 2009 की धारा 4 (डी) के तहत संरक्षित हैं, तो यह उत्तरदाताओं की ओर से अनुचित था। 23. प्रस्तुतिकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने अर्जुन सिंह और अन्य बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा है।

हिमाचल प्रदेश और अन्य 1 और अब्दुल हकीम एम. ए. और अन्य बनाम। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय और अन्य 2 और आगे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने कानून के प्रश्न की सराहना में एक गंभीर त्रुटि की है और इसके द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए

यह न्यायालय।

24. वैकल्पिक रूप से, विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि प्रत्येक अपीलार्थी अब शिक्षण संकाय के सदस्य के रूप में काम कर रहा है

पिछले 15 से 17 वर्षों में एसोसिएट प्रोफेसर विजय कुमार ज्योति के अलावा बाकी सभी सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं और अगर इस समय उन्हें नई प्रक्रिया से गुजरने के लिए कहा जा रहा है

चयन की स्थिति में, यह बहुत कठोर होगा और उनकी सेवा शर्तों को खतरे में डाल सकता है, और अधिक, जब यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि शिक्षक/अपीलार्थी या तो मौजूदा योग्यताओं के संदर्भ में पद धारण करने के लिए योग्य नहीं है या चयन की प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं।

1 2015 (15) एससीसी 713

2 2019 (16) एससीसी 328 [2021] 6 एस. सी. आर.

अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित, दिए गए समय पर, जब उन्हें शुरू में क्रमशः वर्ष 2004-2007 में नियुक्त किया गया था, यह न्याय के हित में होगा कि अपीलार्थियों को केंद्र के तहत नियमित रूप से स्वीकृत पद के खिलाफ पर्याप्त रूप से नियुक्त किया जाए।

सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय।

25. इसके विपरीत, प्रतिवादियों द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया है और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले का समर्थन करते हुए, पता चला है

प्रत्यर्थियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि औषधि विज्ञान विभाग अधिनियम 1973 की धारा 2 (18) के तहत निर्दिष्ट स्व-वित्तपोषण योजना के तहत था, जिसे वर्ष 1996 में शुरू किया गया था और राज्य सरकार ने अप्रैल 1997/मार्च 1998 में एक निश्चित समय पर स्व-वित्त योजना के तहत फार्मेसी विभाग में प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के शिक्षण पद को मंजूरी दी थी, नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर की गई थीं और बाद में, सरकार ने 4 फरवरी 2000 के अपने आदेश के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए जाने वाले स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रमों के लिए कुछ मानदंड और दिशानिर्देश जारी किए, जिसके अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी।

26. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि केवल इसलिए कि भाग VI के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है, यह अपीलार्थियों को अपनी नियुक्ति की मांग करने में अप्रभावी अधिकार नहीं देता है, विशेष रूप से तब जब पद स्वयं स्व-वित्तपोषण योजना के तहत अस्थायी/संविदात्मक था और इसके वित्त/खर्च विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं और केवल निरंतरता द्वारा वहन किए जाते हैं। विश्वविद्यालय में स्व-वित्त योजना के तहत इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बल पर उनकी सेवा के नियमितीकरण की मांग करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है।

27. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय को अधिनियम 2009 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने के बाद, केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा औषधि विज्ञान विभाग में स्वीकृत पदों के खिलाफ अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में नियुक्तियां की जानी हैं और इसके आगे बढ़ने के लिए, 29 अगस्त, 2011 के विज्ञापन को उत्तरदाताओं द्वारा औषधि विभाग सहित विभिन्न विभागों के शिक्षण पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया था।

विज्ञान और यह अपीलार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने और केंद्रीय विश्वविद्यालय की सेवा का सदस्य बनने के लिए खुला था, लेकिन जब वे चयन प्रक्रिया में भाग लेने में विफल रहे और अपने वेतन और सोमेश थपलियाल और ए. एन. आर. के साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपनी लड़ाई हार गए।

वी. वाइस चांसलर, एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. [आरएएसटीओजी, जे।]

विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाने वाले भत्तों के कारण, उनके द्वारा केवल इसलिए कोई मूल अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे पिछले 15 से 17 वर्षों से न्यायालय के आदेश के तहत सेवा में बने हुए हैं, जैसा कि अनुरोध किया गया है और यह अभी भी अपीलार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए खुला है। और जब आयोजित किया जाता है, बशर्ते वे अधिनियम 2009 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के योग्य हों।

28. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय के 5 अगस्त 2021 के निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि 29 अगस्त 2011 के एक विज्ञापन के अनुसार, शिक्षकों का चयन विभिन्न विभागों में किया गया था, जिसमें वे विभाग भी शामिल थे जो पहले स्व-वित्तपोषण योजना के तहत थे और जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, उन सभी की नियुक्ति 5 अगस्त 2021 को की गई थी।

के पत्र के साथ उनके संबंधित विभाग में मूल आधार नियुक्ति अभिलेख पर यह दिखाने के लिए रखी गई है कि जिन शिक्षकों को नियुक्त किया गया था

29 अगस्त, 2011 के एक विज्ञापन के अनुसार स्थायी रिक्ति के खिलाफ पहली बार में परिवीक्षा पर रखा गया था और

संतोषजनक समापन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित आदेश पारित किए जाएंगे।

29. विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि यह अपीलकर्ताओं को लेना है

उनका अपना निर्णय और एक बार जब वे 29 अगस्त, 2011 के एक विज्ञापन के अनुसार उत्तरदाताओं द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लेने में विफल रहने वाली बस से चूक जाते हैं, तो वे किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं, जैसा कि तत्काल अपीलों में अनुरोध किया गया है।

30. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

31. फार्मेसी/औषधि विज्ञान विभाग एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय का एक घटक शिक्षण विभाग था।

यह अधिनियम, 1973 द्वारा शासित एक राज्य विश्वविद्यालय था जिसे अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत स्थापित किया गया था। 15 जनवरी, 2009 को विश्वविद्यालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया और तब से, यह अधिनियम 2009 द्वारा शासित है।

32. फार्मेसी विभाग द्वारा प्रस्तावित बी-फार्मा पाठ्यक्रम

यह भारतीय फार्मेसी परिषद (पी. सी. आई.) के अंतर्गत आता है जो फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। पी. सी. आई. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बी. फार्मा पाठ्यक्रम को मंजूरी देता है। फार्मेसी अधिनियम, 1948। दिए गए समय में, औषधि विज्ञान संकाय [2021] 6 एस. सी. आर. के रूप में स्व-वित्त योजना के तहत था।

सभी वित्तीय देनदारियों के साथ अधिनियम की धारा 2 (18) के तहत विचार किया गया

विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया गया।

33. एआईसीटीई और पीसीआई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फार्मेसी विभाग में शिक्षण पदों का सृजन किया गया था।

विश्वविद्यालय ने अधिनियम 1973 के 7 (9) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त समिति और कार्यकारी परिषद ने शिक्षण पदों का सृजन किया।

1996 से 1999 तक औषधीय विज्ञान विभाग में। द.

विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद अधिनियम की धारा 19 (ए) के तहत परिभाषित एक वैधानिक प्राधिकरण है और अधिनियम की धारा 21 (1) के संदर्भ में विश्वविद्यालय का एक प्रमुख कार्यकारी निकाय है। यह रिकॉर्ड से पता चलता है कि पदों को यदि कार्यकारी परिषद द्वारा बनाया जाता है

औषधि विज्ञान विभाग अस्थायी या नियुक्ति पत्र के साथ सेवा प्रदान किए जाने तक अपीलार्थियों को अनुबंध के आधार का खुलासा कभी नहीं किया गया था।

34. नियुक्तियाँ शिक्षण से की गई थीं

संकाय (सहायक प्रोफेसर-व्याख्याता और एसोसिएट प्रोफेसर-रीडर) अधिनियम, 1973 के अध्याय VI के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक विज्ञापन सं. 34 दिनांक 4 फरवरी, 2004 और बाद में एक विज्ञापन सं। 39 संकाय सहित विभिन्न संकायों का नियमित चयन करने के लिए दिनांक 19 मई 2006

औषधीय विज्ञान।

35. शुरू में एक विज्ञापन के अनुसार प्रस्तुत किए गए आवेदन, शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर जांच के बाद, योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था

अधिनियम की धारा 31 (4) के तहत गठित चयन समिति। चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यकारी परिषद के समक्ष रखा गया था जो एक वैधानिक प्राधिकरण और प्रमुख है।

अधिनियम की धारा 21 (1) के अनुसार विश्वविद्यालय का कार्यकारी निकाय।

36. अंततः सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद

कार्यकारी परिषद, नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा की जाती थीं और इस स्तर पर, पहली बार, नियुक्ति पत्र में मनमाने शर्तों को शामिल किया गया था, जिसमें नियुक्ति को पहले तीन साल की अवधि के लिए संविदात्मक बनाया गया था, जिसे बाद के चरण में बढ़ाया गया था।

37. तथ्यों के वर्णन से जैसा कि ऊपर संदर्भित किया जा रहा है, यह

यह स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि अपीलार्थियों को चयन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद नियुक्त किया गया था जैसा कि अधिनियम 1973 के भाग VI के तहत विचार किया गया था।

वी. वाइस चांसलर, एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. [आरएएसटीओजी, जे।]

जो वास्तव में मूल आधार पर एक नियुक्ति थी और चूंकि अपीलकर्ता एक समान सौदेबाजी की स्थिति में नहीं थे और जब नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था तो उन्हें रोजगार की आवश्यकता थी, इसलिए नियुक्ति पत्र में शामिल ऐसी मनमाने शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था जो इसे सीमित अवधि के लिए संविदात्मक मानते थे, फिर भी शामिल होने के दौरान उनका विरोध दर्ज किया गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब उन्हें अपनी सेवाओं का विस्तार करके जारी रखने की अनुमति दी गई, तो वे इस विश्वास के साथ बने रहे कि चूंकि उनकी नियुक्ति चरित्र में महत्वपूर्ण है, इसलिए विभाग में स्थायी पदों को मंजूरी मिलने के तुरंत बाद उन्हें स्थायी/पुष्टि कर दी जाएगी।

फार्मास्युटिकल साइंसेज लेकिन उन्हें निराशा हुई कि 29 अगस्त, 2011 को प्रतिवादी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एक विज्ञापन अधिसूचित किए जाने के बाद, उनके पास रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

38. 15 जनवरी, 2009 से लागू हुए अधिनियम 2009 की योजना को देखें तो एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय को परिवर्तित कर दिया गया है।

अधिनियम 2009 के तहत एक केंद्रीय विश्वविद्यालय को और यह अधिनियम 1973 के तहत बनाए गए विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने हाथ में ले लेता है, अधिनियम की धारा 4 (डी) के संदर्भ में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण से पहले विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है। अधिनियम 2009 की योजना के अनुसार, अधिनियम की धारा 27 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधि के खंड 18 के संदर्भ में गठित की जाने वाली चयन समिति की सिफारिशों पर शिक्षकों का चयन किया जाना है, जिसे धारा 21 के संदर्भ में विश्वविद्यालय के प्रधान कार्यकारी निकाय के समक्ष रखा जाना है और इसके अंतिम अनुमोदन पर नियुक्तियां की जाती हैं।

" 4. विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रभाव। - में और से

इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख,

.....

(घ) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति,

डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय और हेमवती नंदन

इस अधिनियम के प्रारंभ से उनका पद या सेवा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरिसिंह गौर में होगी। विश्वविद्यालय
और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, क्रमशः, इस अधिनियम के तहत एक ही कार्यकाल में, एक ही पारिश्रमिक पर और समान नियमों और शर्तों पर और पेंशन के समान अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ, [2021] 6 एस. सी. आर.

छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामले जो उसके पास होंगे यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसका रोजगार समाप्त नहीं हो जाता है या जब तक कि ऐसा कार्यकाल, पारिश्रमिक और नियम और शर्तें विधिवत नहीं हो जाती हैं।

कानूनों द्वारा परिवर्तित किया गयाः बशर्ते कि यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है, तो उसका रोजगार -

विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारी के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार समाप्त किया जाता है या, यदि इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा उसे स्थायी कर्मचारियों के मामले में तीन महीने के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों के मामले में एक महीने के पारिश्रमिक के बराबर मुआवजे का भुगतान किया जाता हैः बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, धारा 33 के तहत एक अनुबंध के निष्पादन तक, इस अधिनियम और क़ानून के प्रावधानों के अनुरूप एक अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया माना जाएगाः बशर्ते कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति और उपकुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर को कोई भी संदर्भ, किसी भी रूप में, विश्वविद्यालय या हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उस समय लागू किसी भी कानून में, या किसी दस्तावेज या अन्य दस्तावेज में, कुलपति और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के उपकुलपति, डॉ. हरिसिंह गौर के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

18. चयन समितियाँ। - (1) प्रोफेसर, एसोसिएट के पद पर नियुक्ति के लिए कार्यकारी परिषद को सिफारिश करने के लिए चयन समितियाँ होंगी। प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए महाविद्यालयों और संस्थानों के लाइब्रेरियन और प्राचार्य।

(2) पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति नीचे दी गई तालिका के कॉलम 1 में निर्दिष्ट कुलाधिपति, आगंतुक का एक नामित व्यक्ति और उक्त तालिका के कॉलम 2 में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति शामिल होंगेः

सोमेश थपलियाल और ए. एन. आर. वी. वाइस चांसलर, एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. [आरएएसटीओजी, जे।]

तालिका

1

2

((i) द

एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक

के प्रमुख

प्रोफेसर

विभाग।

((ii) एक प्रोफेसर नामित किया गया।

कुलपति द्वारा।

((iii) दो व्यक्ति जो राज्य में नहीं हैं।

विश्वविद्यालय की सेवा,

द्वारा नामित

कार्यकारी परिषद, से बाहर

द्वारा अनुशंसित

के लिए अकादमिक परिषद

उनका विशेष ज्ञान,

या विषय में रुचि

प्रोफेसर होंगे चिंतित हैं।

39. प्रत्यर्थियों का यह मामला नहीं है कि जिन अपीलार्थियों को दिनांक 4 फरवरी, 2004/19 मई, 2006 के विज्ञापन के अनुसार नियुक्त किया गया था, वे अधिनियम के अध्याय VI के तहत निर्धारित प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं या नियुक्तियां अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के उल्लंघन में की गई थीं। साथ ही,

यह भी प्रत्यर्थियों का मामला नहीं है कि कोई भी अपीलकर्ता या तो अधिनियम 2009 के तहत बनाए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षण पद पर रहने के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता है या जो शर्तें पी. सी. आई. द्वारा निर्धारित की गई हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है या अधिनियम 2009 के तहत विचार की गई चयन प्रक्रिया अधिनियम 1973 के प्रावधानों से भिन्न है या उनमें से कोई भी शिक्षक पद पर रहने के लिए अयोग्य है।

40. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की एकमात्र आपत्ति यह है कि औषधि विभाग विज्ञान पहली बार में एक स्व-वित्त योजना थी जैसा कि प्रदान किया गया था [2021] 6 एस. सी. आर.

अधिनियम 1973 की धारा 2 (18) और सभी शिक्षण पदों के तहत हालांकि

यह सरकार की मंजूरी से बनाया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा वित्तपोषित किया गया था और ऐसा होने पर, अपीलार्थियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता था और यही कारण था कि नियुक्तियां सीमित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर की गई थीं।

41. यह हाल ही में किए गए एक संचार द्वारा काउंटर करता है

ए. आई. सी. टी. ई./पी. सी. आई. के मानदंडों के अनुपालन में समय-समय पर स्वीकृत पद और अधिनियम 1973 के तहत प्रदान की गई चयन की आवश्यक योग्यता और प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। सिफारिश की गई कि उन्हें न केवल अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार बल्कि अधिनियम 2009 के अनुसार भी उपरोक्त पदों के साथ भरे हुए पदों के रूप में माना जा सकता है।

42. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियाँ

यह कि अपीलकर्ताओं ने नियुक्ति पत्र में निहित नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है, इस कारण से अस्वीकृति के योग्य है कि सार्वजनिक रोजगार में नियुक्त व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से उन नियमों और शर्तों को चुनने का अधिकार नहीं है जिनकी सेवा करने के लिए वह अपेक्षित है। यह चला जाता है

यह कहे बिना कि नियोक्ता हमेशा एक प्रमुख स्थिति में होता है और यह नियोक्ता के लिए रोजगार की शर्तों को निर्धारित करने के लिए खुला है। जो कर्मचारी प्राप्त करने वाले छोर पर है, वह शायद ही रोजगार के नियमों और शर्तों में मनमानेपन की शिकायत कर सकता है। यह न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि यदि कोई कर्मचारी रोजगार के नियमों और शर्तों पर सवाल उठाने में पहल करता है, तो उसकी नौकरी ही बर्बाद हो जाएगी।

43. सौदेबाजी की शक्ति स्वयं नियोक्ता के पास निहित है और कर्मचारी के पास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यदि यही कारण है, तो कर्मचारी के लिए शर्तों को चुनौती देने के लिए खुला है यदि यह कानून के तहत वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है और वह उस स्तर पर पूछताछ से वंचित नहीं है जहां वह खुद को व्यथित पाता है।

44. तत्काल मामले में, उन्होंने विरोध याचिका दायर की और अपनी शिकायत प्रतिवादियों के ध्यान में लाई, लेकिन वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। उनकी शिकायत पर विचार करने के लिए सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करने के अलावा प्रश्न

सहानुभूतिपूर्वक।

सोमेश थपलियाल और ए. एन. आर. वी. वाइस चांसलर, एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय और ए. एन. आर. [आरएएसटीओजी, जे।]

45. 'मूल नियुक्ति' शब्द को कानूनी शब्दकोश में इस तरह से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सेवा न्यायशास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है

संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाते समय भर्ती प्राधिकरण और जिसे "मूल नियुक्ति" कहा जा रहा है, उसे यू. पी. बिक्री कर अधिकारी (ग्रेड II) सेवा नियम, 1983 से एकत्र किया जा सकता है। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

' पर्याप्त नियुक्ति का अर्थ है नियमों के अनुसार चयन के बाद की गई सेवा संवर्ग के किसी पद पर नियुक्ति, जो तदर्थ नियुक्ति नहीं है और यदि सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई नियम नहीं हैं।

46. राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के तहत मूल नियुक्ति की परिभाषा को आगे इस प्रकार देखा जा सकता हैः

4 (एन) "सारवान नियुक्ति" से इन नियमों के प्रावधानों के तहत इन नियमों के तहत निर्धारित भर्ती के किसी भी तरीके से उचित चयन के बाद सारवान रिक्ति के लिए की गई नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर नियुक्ति या

के पूरा होने पर पुष्टि के बाद एक परिवीक्षाधीन के रूप में

परिवीक्षा अवधि "।

47. नियम की लगभग समान प्रकृति उन सेवाओं में उपलब्ध है जहां भर्ती प्राधिकरण ने परिभाषित किया है कि "मूल" के रूप में क्या माना जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति और यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि नियमों की योजना के अनुसार की गई नियुक्ति को मूल नियुक्ति माना जाता है।

48. निर्विवाद रूप से, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों को 4 फरवरी, 2004 के एक विज्ञापन के अनुसार नियुक्त किया गया था।

और 19 मई, 2006 को नियमित चयन के लिए आयोजित किया गया और अधिनियम के अध्याय VI के तहत प्रदान की गई चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद

1973 और अधिनियम की धारा 31 (1) और (4) के तहत गठित और कार्यकारी परिषद, जो एक वैधानिक प्राधिकरण है, द्वारा अनुमोदित वैधानिक चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर नियुक्तियां क्रमशः वर्ष 2004 और 2007 में की गईं।

इस तथ्य की परवाह किए बिना कि पद अस्थायी है या स्थायी प्रकृति, कम से कम उनकी नियुक्ति चरित्र में ठोस है और हो सकता है [2021] 6 एस. सी. आर.

जब भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पद को स्थायी रूप से स्वीकृत किया जाता है तो उसे स्थायी बनाया जाएगा।

50. तत्काल मामले में, औषधीय विज्ञान विभाग में शिक्षण पदों को विधिवत मंजूरी और मंजूरी दे दी गई है

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जिसका एक विस्तृत संदर्भ दिया गया है, 14 अगस्त, 2020 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे गए पत्र द्वारा समर्थित है, इस तथ्य को दर्शाता है कि वर्तमान अपीलकर्ता एसोसिएट के शिक्षण पदों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ए. आई. सी. टी. ई./पी. सी. आई. के मानदंडों के अनुपालन में स्वीकृत प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर और आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं।

51. इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अपीलार्थी अपनी नियुक्ति के खिलाफ ठोस क्षमता में होने का दावा करने के हकदार हो गए स्थायी स्वीकृत पद और शिक्षण का सदस्य बनें

अधिनियम 2009 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय के संकाय।

52. नतीजतन, अपील सफल होती हैं और तदनुसार अनुमति दी जाती है। 19 अगस्त, 2013 के उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। अपीलार्थियों को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मूल रूप से नियुक्त शिक्षक (एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर) और केंद्रीय विश्वविद्यालय, अर्थात् एच. एन. बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवा सदस्य माना जाएगा, जो अधिनियम 2009 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय की सेवा में नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक के लिए स्वीकार्य वेतनमान और काल्पनिक परिणामी लाभों के हकदार हैं। कोई लागत नहीं। 53. अपीलों के निपटारे को देखते हुए, अवमानना याचिकाएं बंद हो जाती हैं।

54. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

बिभूति भूषण बोस

अपी

लों का निपटारा किया गया।